संख्या-14/2026/001-123(1)/1740211/12-2002(002)/1/2023

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-06-उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय से मानक मद 27-सब्सिडी में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–मिलेट्स-182/वि0 स्वी0/2025-26, दिनांक 23 जनवरी, 2026 एवं पत्र संख्या–मिलेट्स-280/वि0 स्वी0/2025-26, दिनांक 07 मार्च, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-06-उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 3247.50 लाख के सापेक्ष हो रही बचत रू0 172.00 लाख से अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-06-उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रूपये 172.00 लाख (रूपये एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
6. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

8. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,72,00,000.00 (रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-14/2026/001-123(2)/1740211/12-2002(002)/1/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में), उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20252026-123 2026 1704211 12-2002 002 1 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-06-3000 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
011	2401001030600 (उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम)	42 (अन्य व्यय)	32,47,50,000 रुपये बतीस करोड सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र	1,72,00,000 रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र	-1,72,00,000 रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र	- 17200000	- 307550,000	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
011	2401001030600 (उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम)	27 (सब्सिडी)	2,49,10,000 रुपये दो करोड़ उनचास लाख दस हजार मात्र	1,72,00,000 रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र	- 17200000	- 4211000	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

अ- अद्यतन व्यय के दृष्टिगत बचत।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित व्ययाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है:-

ब- वित्तीय वर्ष 2025-26 में संशोधित कार्ययोजना के सापेक्ष प्राविधानित धनराशि कम होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश वजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिवन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-बजट-1-554, दि0 19 मार्च 2026

संख्या: आर ई-< ८ > -2025-26, दिनांक- मार्च, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

Ranjana

(डा0 रंजना दुबे)
अनु सचिव।

Digitally signed by
RAHUL KUMAR
Date: 18-03-2026
17:02:21
(राहुल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या: 123 2026 1704211 12-2002 002 1 2023 दिनांक मार्च, 2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(डा0 रंजना दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।